प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **166/2024** (अपील सूचना का अधिकार)
सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. सोहन लाल कोठारी निवासीः वार्ड न. 8, कन्याशाला के पास, वल्लभनगर, उदयपुर

...............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर

...................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 17-12-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 14.10.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/166/24/1374–75 दिनांक 25.11.2024 से लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः आरटीआई/2024/37–38 दिनांक 12.12.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.10.2024 को कार्यालय हाजा में आवेदन कर सूचना चाही गई जो विस्तृत एवं विशिष्टहीन होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) एवं 6(1)(बी) के तहत अदेय है। उक्त संबंध में प्रार्थी को कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/2024/36 दिनांक 11.12.2024 द्वारा कार्यालय समय में उपस्थित होकर अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना चिन्हित करने बाबत रजिस्टर्ड डाक के जरिये पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना चिन्हित करने के पश्चात् सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विस्तृत एवं विशिष्टहीन होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक 36 दिनांक 11.12.2024 से चाही गई वांछित सूचना को कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों का निरीक्षण कर सूचना चिन्हित करने हेतु सूचित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी की मंशा यह नहीं है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जावे। वांछित सूचना विस्तृत होने एवं वांछित सूचना की विशिष्टियां अंकित नहीं होने से सूचना चिन्हित किये जाने हेतु लिखा गया है। अतः अपील अपीलार्थी इन निर्देशों के साथ निस्तारित की

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

जाती है कि अपीलार्थी वांछित सूचना चिन्हित कर प्रत्यर्थी के कार्यालय से सूचना प्राप्त करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वल्लभनगर के कार्यालय में आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर वांछित सूचना चिन्हित कर सूचना प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वल्लभनगर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर